भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3078

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करना

†3078. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए आपातकालीन आघात देखभाल, एम्बुलेंस सेवाओं और गोल्डन आवर संबंधी अनुक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने सड़क सुरक्षा में सुधार और यातायात उल्लंघनों में कमी के संबंध में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) स्कूली छात्रों, युवा चालकों और वाणिज्यिक वाहन चालकों के बीच सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता में सुधार के लिए आरंभ की गई पहलों का ब्यौरा क्या है और उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में अनिवार्य सड़क सुरक्षा संपरीक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा इसका कितना अनुपालन किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार का वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को काफी कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कोई नई योजना या मिशन आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो वित्तीय परिव्यय, कार्यान्वयन रणनीति और अपेक्षित परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ङ) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी अधिदेश के अनुसार, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकदी रहित (कैशलेस उपचार) योजना, 2025 को 13.02.2026 को राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए लॉन्च किया गया था। योजना किसी भी श्रेणी की सड़क पर दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की सीमा के अधीन, प्रति पीड़ित 1.5 लाख रूपये तक का उपचार कवर प्रदान करती है। इसके अलावा, उपचार कवर उन सभी पीड़ितों के लिए उपलब्ध होगा जो मोटर वाहनों के उपयोग के कारण सड़क दुर्घटनाओं में शामिल हैं।

गोल्डन आवर प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) के साथ अभिसरण(कंवरजेंस) के माध्यम से, एक पीड़ित या गुड सेमेरिटन निकटतम नामित अस्पताल का विवरण प्राप्त कर सकता है और एम्बुलेंस सहायता मांग सकता है। समय पर प्रतिक्रिया और प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस को भी सूचित किया जाता है।

(ii) एबी पीएम-जेएवाई के तहत सूचीबद्ध अस्पताल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने वाले अस्पताल स्वचालित रूप से योजना के तहत नामित अस्पतालों के रूप में सूचीबद्ध हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एनएचए द्वारा का. आ. संख्या एस-12018 /81 /2024 दिनांक 20 मई 2025 के माध्यम से विशेष रूप से दुर्घटना हॉटस्पॉट के पास और सीमित उपचार सुविधाओं वाले क्षेत्रों में आवश्यक ट्रॉमा-केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल कर्मियों के साथ अतिरिक्त अस्पतालों को शामिल करने के लिए सक्षम बनाया गया है।

(iii) जहां कोई पीड़ित गैर-नामित अस्पताल में पहुंचता है, वहां अस्पताल को तत्काल स्थिरीकरण उपचार प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जहां निर्दिष्ट सुविधा पहले बिंदु पर उपलब्ध नहीं है, वहां भी उपचार हो।

(iv) सरकार ने नागरिकों को गोल्डन आवर के दौरान गंभीर सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राह-वीर योजना शुरू की है। यह योजना मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 134ए और सा.का.नि. 594(अ) दिनांक 29.09.2020 द्वारा अधिसूचित (नेक दिल नागरिक) गुड सेमेरिटन नियमों के तहत गुड सेमेरिटन को प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति जिसने मोटर वाहन से जुड़ी गंभीर दुर्घटना के पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करके और चिकित्सा उपचार के लिए दुर्घटना के गोल्डन आवर के भीतर पीड़ित को अस्पताल/ट्रॉमा केयर सेंटर में ले जाकर सहायता की है, वह योजना के प्रावधानों के अधीन, प्रति घटना 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार के साथ-साथ प्रशंसा प्रमाण पत्र के लिए पात्र है।

(ख) मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू होने के साथ-साथ यातायात नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और उल्लंघन के लिए निवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए सख्त दंड का प्रावधान करता है। यातायात प्रबंधन और प्रवर्तन अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है। जहां केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत नियम बनाती है, वहीं इन नियमों का प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सड़क सुरक्षा अभियान नामक एक मीडिया आउटरीच गतिविधि शुरू की गई है, जिसके तहत स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सहित सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर जागरूकता गतिविधियां शुरू की गई हैं। अभियान के हिस्से के रूप में, छात्रों के बीच व्यवहार परिवर्तन पैदा करने और सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से देश भर के स्कूलों में कुल 150 नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए।

इसके अलावा, परियोजना अभय का पायलट चरण वर्ष 2024-2025 के दौरान छह राज्यों, अर्थात् उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में आईआईटी दिल्ली के सहयोग से लागू किया गया था। इस परियोजना ने प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्रों पर स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से 50,000 से अधिक ट्रक चालकों तक पहुंच बनाई और व्यापक स्वास्थ्य जांच, आंखों की जांच और चश्मा वितरण, व्यवहार परिवर्तन कार्यशालाएं, मानसिक कल्याण सहायता, और सामाजिक सुरक्षा मानचित्रण और नामांकन प्रदान किया। परियोजनाओं की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि लगभग 55.1% ट्रक चालकों में दृष्टि से समझौता पाया गया, जिसमें 53% को दूर दृष्टि सुधार और 46.7% को निकट दृष्टि सुधार की आवश्यकता थी। 44.3 % ड्राइवरों ने बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) के सीमांत या ऊपर प्रदर्शित किया, 57.4 % में उच्च रक्तचाप का स्तर था, और 18.4 % ने सीमांत या उच्च रक्त शर्करा का स्तर दिखाया। इसके अलावा, लगभग 33.9% ड्राइवरों ने मध्यम तनाव की सूचना दी, जबकि 2.9% को उच्च तनाव स्तर पाया गया, जो मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता पर जोर देता है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज के संबंध में, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 48.3% ड्राइवरों के पास किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कवरेज नहीं था, और 68.6% का बीमा नहीं था।

उपर्युक्त कार्यक्रम के तहत, कुल 50,713 ड्राइवरों की स्वास्थ्य जांच, व्यवहार कार्यशालाएं और आंखों की जांच की गई, जबकि 46,693 ड्राइवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा मानचित्रण किया गया। पात्रता के आधार पर, 26,158 व्यक्तियों को सुधारात्मक चश्मा/चश्मा जारी किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 15,447 ड्राइवरों को ई-श्रम के तहत, 8,444 को आयुष्मान भारत के तहत, 390 को अन्य बीमा योजनाओं के तहत और 3,706 को अभय सुरक्षा बीमा योजना के तहत नामांकित किया गया था।

(घ) जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का संबंध है, कार्य मानकों, दिशानिर्देशों, मैनुअल, भारतीय सड़क कांग्रेस के आचार संहिता के साथ-साथ सड़क और पुल कार्यों के लिए विर्निदेशों के अनुसार किए जाते हैं। आवश्यक सड़क सुरक्षा उपाय डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव चरणों के दौरान किए जाते हैं। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनएच परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, पूर्व-उद्घाटन चरण के साथ-साथ मौजूदा एनएच पर सभी एनएच की नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
